रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01032024-252495
SG-DL-E-01032024-252495

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]	दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 23, 2024/फाल्गुन 4, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 441
No. 70]	DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 23, 2024/PHALGUNA 4, 1945	[N. C. T. D. No. 441

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

घोषणा

दिल्ली, 21 फरवरी, 2024

फॉर्म-V

फ. स. ए. डी. एम./एल. ए. सी./द. प./2023-24/17861.—जहां की माननीय उच्च-न्यायालय, दिल्ली द्वारा डब्ल्यू. पी. (सी.) संख्या 9173/2015 और सी. एम. अपल. संख्या 51495/2019, 21613/2021, 17886/2022, 20392/2022, 45299/2022 और 6186/2023 जिनका शीर्षक विनोद राजौरिया बनाम डी. डी. ए. व अन्य है के संदर्भ मे दिए गए आदेश दिनांक 08 दिसम्बर 2023 के अनुसार दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को पहले से ही सड़क के निर्माण में प्रयुक्त की गई थी भूमि के संबंध मेंभूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन कानून, 2013 के अध्याय-IV के तहत प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिएनिर्देशित किया गया था।जहां की सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की लोक प्रयोजनार्थ गाँव भरथल में सड़क संख्या का आवागमन सुनिश्चित करने हेतु गाँव भरथल उपमण्डल कापसहेड़ा दक्षिण पश्चिम दिल्ली में कुल 0.1876 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

जबकि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना नं एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2023-24/5938 दिनांक: 18-01-2024 को दिल्ली के राज पत्र दिनांक 24-01-2024 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें सूचित किया गया था कि भरथल गाँव में खसरा संख्या 4//21 (0.1876 हेक्टेयर) की कुल भूमि (0.1876 हेक्टेयर) को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक है, जो कि भरथल गाँव में रोड संख्या 226 का पहुँच प्रदान करने के लिए है।

इसलिए, अब, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के धारा 19(1) के प्रावधानों के साथ पठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 अनुसार घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना हेतु गाँव भरथल उप खंड कापसहेड़ा जिला दक्षिण पश्चिम में अर्जन के अधीन एक भू खंड है जिसका कुल माप 0.1876 हेक्टेयर है एवं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या/खसरा नं.	स्वामित्व का प्रकार	गाँव का नाम	भूमि का प्रकार	अधिग्रहण के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमाएँ			
							उत्तर	दक्षिण	पुर्व	पश्चिम
1	21//4	निजी	भरथल	कृषि/ शहरीकृत	0.1876	विनोद कुमार राजोरिया पुत्र बी. एल. राजोरिया निवासी : 189 एकता मार्ग वेस्टर्न एवन्यू सैनिक फार्म नई दिल्ली।	20//4	1//12	22//4	25//5

पेड़		ढांचा	
प्रकार	संख्या	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

इसके अतिरिक्त, प्रभावित परिवार/व्यक्ति(ओं) पहले से ही उपरोक्त याचिकाओं में आवेदक हैं और पुनर्वासन /पुनर्व्यवस्थापन/सहायता के लिए सभी दावे याचिकाओं में सम्मिलित हैं। इस प्रकरण में पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है जैसे की पहले ही दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने उक्त आदेश दिनांक 08/12/2023 में निर्धारित कर दिया है।

उक्त भूमि के या उक्तभूमि के किसी भी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट याअन्य खनिजों की खाने हैं , खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस परियोजना हेतु भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाए या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं।

भूमि योजना का मुआयना सप्ताह के किसी भी कार्यकालिक दिवस में जिला दक्षिण-पश्चिम के कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है और यह राजस्व विभाग और जिला मजिस्ट्रेट, (दक्षिण-पश्चिम), दिल्ली की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।

पुनर्वास और पुन:स्थापन योजना का सार (शून्य) संलग्न है।

आदेशानुसार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उप-राज्यपाल के नाम पर,

अश्वनी कुमार, अपर मुख्य सचिव (राजस्व) एवं मंडलीय आयुक्त

पुनर्वास और पुन:स्थापन योजना का सार

1. **परियोजना का नाम**	सड़क संख्या 226, द्वारका (परियोजना पहले ही पूर्ण हो चुकी है)
2. **भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के नाम /संख्या और पुनर्वास एवम पुनर्स्थापन के लिए उनके संबंधित दावे की प्रकर्ति**	जैसा की क्रम संख्या 4 पर बताया गया है।
3. **पुनर्वास एवम पुनर्स्थापन योजना के कार्यान्वन हेतु समय सीमा**	लागू नहीं

क्रम संख्या	दावाकर्ता / प्रभावित व्यक्ति का नाम	आधार संख्या	व्यवसाय	पुनर्वास एवम पुनर्स्थापन की पात्रता	टिप्पणी
4 .	विनोद कुमार राजोरिया पुत्र बी. एल. राजोरिया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

लक्ष्य सिंघल, आई.ए.एस. भूमि अधिग्रहण कलेक्टर/(जिला दक्षिण-पश्चिम)

REVENUE DEPARTMENT

DECLARATION

Delhi, the 21st February, 2024

Form V

F. No. ADM/LAC/SW/2023-24/17861.—Whereas the Hon'ble High Court of Delhi vide order dated 08/12/2023 in W.P. (C) 9173/2015 & CM APPL. 51495/2019, CM APPL. 21613/2021, CM APPL. 17886/2022, CM APPL. 20392/2022, CM APPL. 45299/2022, CM APPL. 6186/2023 titled as Vinod Rajoria Vs. DDA &ors directed Government of National Capital Territory of Delhi for time bound completion of process under Chapter-IV of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013with respect to the land already utilized in the construction of road. Whereas it appears to the Government that a total land of 0.1876 Hectares is required in the Village-Bharthal, Sub-Division of Kapashera in District South-West, Delhi for the public purpose namely for providing the access of road no. 226 in Bharthal village.

Whereas, the Notification under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 was published vide notification no. ADM/LAC/SW/2023-24/5938 dated:18-01-2024 in the Delhi Gazette dated 24-01-2024 notifying that the land bearing khasra no. 4//21 (0.1876 Hectares) total land measuring (0.1876 Hectares) in village Bharthal is required for public purpose namely for providing the access of road no. 226 in Bharthal village.

Now, therefore, in accordance with the provisions of Section 19 (1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 read with Rule 10 the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Compensation, Rehabilitation and Resettlement, Development Plan) Rules, 2015) the declaration is made that a piece of land measuring 0.1876 Hectares is under acquisition for the above said project in the Village Bharthal. Sub-Division -Kapashera, District South- West, whose detailed description is as following: -

Sl.No.	**Survey No./ Khasra No.**	**Type of title**	**Type of land**	**Area under acquisition (in hectare)**	**Name and address of the person interested**	**Boundaries**			
						N	**S**	**E**	**W**
1.	4//21	Private	Agriculture /Urbanised	0.1876	Vinod Kumar Rajoria S/o B. L. RajoriaR/o 189, Ekta Marg, Western Avenue, Sainik Farm, New Delhi	4//20	12//1	4//22	5//25

Trees		**Structure**	
Variety	Number	Type	Plinth area
Nil	Nil	Nil	Nil

Further, the affected family/person(s) are already the applicant in the above-mentioned writ petitions and all the claims for rehabilitations/resettlement/relief are part of the petition itself. There is no need for rehabilitation and resettlementin this case as already settled by Hon'ble High Court of Delhi in its aforesaid order dated 08/12/2023.

Mines, Coal, Iron-Stone, Slate or other minerals lying under the said land or any particular portion of the said land, except such parts of the mines and minerals which may be required to be dug or removed or used during the construction phase of the project for the purpose of which the land is being acquired, are not needed.

A plan of the land may be inspected in the office of the Collector, South-West on any working day and the same shall also be available on the website of the Revenue Department and the District Magistrate, (South-West), Delhi.

A summary of the Rehabilitation & Resettlement Scheme (Nil) is appended.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

ASHWANI KUMAR, Addl. Chief Secy. (Revenue) cum Divisional Commissioner

SUMMARY FOR REHABILITATION AND RESETTLEMENT SCHEME

1.Name of Project	**Construction of Road no. 226, Dwarka (project already completed)**

2.Name/Number of persons interested in the land and the nature of their respective claim for Rehabilitation and Resettlement.	*As men*tioned at Serial No.4

3.Time limit for provision of Rehabilitation and Resettlement Entitlement given to the affected families	**Not Applicable**

4 Sl.No.	**Name of Claimant/Affected Family**	**Aadhar No.**	**Occupation**	**Rehabilitation and Resettlement Entitlement**	**Remarks**
	Vinod Kumar Rajoria S/o B. L. Rajoria	NA	NA	NA	NA

LAKSHAY SINGHAL, Land Acquisition Collector/DM District South-West

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA